

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ


क्रमांक: एफ.21(1)(18)पूल / आईसीडीएस / 91 / 10 2 533

जयपुर, दिनांक:
2.8.16

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
सिण्धरी (बाडमेंर)।

विषय:— परियोजना के नकारा वाहन को जमा कराने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II के नियम 22(2)(घ)(II) के अनुसार मोटर यान जो अनुपयोगी घोषित कर दिये गये और जिनको मोटर गैराज में साध्य/मितव्ययी नहीं हैं, संबंधित जिले में कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी द्वारा नीलाम किया जा सकेगा। अतः तदानुसार कार्यवाही कर वाहनों को जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें।


प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.21(1)(18)पूल / आईसीडीएस / 10 2 533 4
प्रतिलिपि: उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाडमेंर।

जयपुर, दिनांक: 2.8.16

राजस्थान सरकार के निदेशक के आदेश पर
यह कार्यवाही कराते हेतु


प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।